आदेश की क्रम सं0 और तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह। (Email id :- dccourt.grd@gmail.com) विविध वाद सं0–92/1999–2000 लग्न कोल्ह वगै0 –बनाम– कमल किशोर महतो वगै0	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3

17.07.2020

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। यह वाद प्रथम पक्ष लग्न कोल्ह, पिता कारू कोल्ह द्वारा दायर आवेदन के आलोक में अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक 47/रा0, दिनांक 14.01.1999 के द्वारा विपक्षी के नाम कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा के साथ वाद अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अग्रसारित किया गया है।

वादगत भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

अंचल	मौजा	खाता सं0	खेसरा सं0	कुल रकवा	भूमि की किस्म
गाण्डेय	घोड़ाजोरी	4,7,11, 13,14,17	21,63,64,71,68, 69,62,68,18,20	03.59 एकड़	रैयती
	हरिपालडीह	46	342	20डी0	
			कुल रकवा :–	03.79 एकड़	

वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है :–प्रथम पक्ष द्वारा दायर आवेदन के आलोक में तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह के आदेश, दिनांक 25.05.1999 के तहत् जमाबंदी संशोधन हेतु भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह को निदेशित किया गया, जिसके आलोक में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह ने वादगत भूमि की स्थल जाँच के संबंध में अंचल अधिकारी, गाण्डेय से जाँच प्रतिवेदन की माँग की एवं अंचल अधिकारी, गाण्डेय द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी अंगावती देवी एवं रघुनाथ महतो के नाम से चल रहे अवैद्य जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गई तथा संपुष्टि हेतु वाद न्यायालय, अपर समाहर्त्ता के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी न्यायालय को भेजा गया है।

वाद संधारण पश्चात् उभय पक्षों को नोटिश निर्गत किया गया एवं सुनवाई की निर्धारित तिथियों में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया है :–

यह कि सर्वे खतियान में आवेदक लग्न कोल्ह के दादा स्व0 खेलवा कोल्ह, लिधा कोल्ह एवं कृपा कोल्ह के नाम से वादगत भूमि की जमाबंदी दर्ज है। सर्वे खतियान के वारिसान उपरोक्त जमीन पर हमेशा से दखलकार रहते आ रहे हैं। विपक्षी अंगावती देवी द्वारा जाली एवं फर्जी केवाला के आधार पर वादगत भूमि पर जबरन कब्जा करने का कई बार प्रयास किया गया तथा आवेदक को परेशान व हैरान करने के लिए मारपीट, फसल चोरी व कई अपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया गया। दखल–कब्जा को लेकर धारा 144,145 एवं 146(i)द0प्र0सं0

के अन्तर्गत उभय पक्षों के बीच मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चला। माननीय न्यायालय, मुन्सीफ गिरिडीह में धारा 146(i)द0प्र0सं0 के अन्तर्गत विविध वाद सं0 58/1973 में आवेदक लगन कोल्ह के नाम से दखल–दिहानी का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में क्रीमिनल रिवीजन वाद सं0 1443/1974 विपक्षी अंगवाती देवी एवं रघुनाथ महतो द्वारा दायर किया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने दिनांक 10.05.1974 को आदेश पारित कर विपक्षी के अपील को खारीज करते हुए माननीय न्यायालय मुन्सीफ, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा एवं आवेदक लगन कोल्ह के दखल–कब्जा को कंफर्म किया। विपक्षी द्वारा दायर अपराधिक मुकदमों में भी सक्षम न्यायालय द्वारा लग्न कोल्ह एवं उसके परिवार के सदस्यों को दोषमुक्त कर रिहाई दी गई। विपक्षी कमल किशोर वर्मा अंगावती देवी, पति–रघुनाथ महतो के दामाद हैं एवं घरजमाई बनकर ससुराल में ही रहते हैं। विपक्षी वादगत भूमि पर दावा अंगावती देवी एवं उसके पति रघुनाथ महतो द्वारा 1959 में लगन कोल्ह को धोखा देकर एवं ठगकर करा लिये गए जाली व फर्जी केवाला के आधार पर करते है, लेकिन दखल–कब्जा नही ले सकें। यह उल्लेखनीय है कि आवेदक लग्न कोल्ह आदिवासी जाति के है तथा गैर आदिवासी द्वारा बिना उपायुक्त के अनुमति के भू–हस्तान्तरण अवैद्य है। वावजूद इसके विपक्षीगण नाजायज रूप से वादगत भूमि की दाखिल–खारीज कराकर रसीद निर्गत करा रहे है। आवेदक अनिभिज्ञतावश एवं गरीबी के चलते लगान का भुगतान नहीं कर पाया, तद्स्वरूप जमाबन्दी भी उसके नाम से कायम नहीं हो पाया, जबकि आवेदक का मकान भी इसी जमीन पर है तथा अभी तक उसी मकान में रहते आ रहे है एवं शेष जमीन में खेती कर उपज उपभोग में लाते रहे है। अतः विपक्षी के नाम से चल रहे अवैद्य जमाबन्दी को रद्द करते हुए आवेदक के नाम जमाबंदी कायम करने की कृपा की जाय।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया है :–

यह कि अंगावती देवी एवं रघुनाथ महतो ने लग्न कोल्ह से दो निबंधित केवालों के माध्यम से वादगत भूमि खरीदकर दखलकार चले आ रहे है। साथ ही विधिवत दाखिल–खारीज होकर उनके नाम से जमाबन्दी खोला गया तथा रसीद निर्गत हो रहा है। पूर्व में भी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा विपक्षी के नाम से चल रहे जमाबन्दी को जायज ठहराया गया है। साथ ही पूर्व से चली आ रही जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं बल्कि सक्षम न्यायालय को है। पुनः उक्त तथ्य की सुनवाई दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के प्रावधान के अनुसार Res-judicata लागू होता है। अतः वर्तमान वाद पोषणीय नहीं है एवं खारीज होने योग्य है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, गिरिडीह द्वारा प्रस्तुत तर्क के तहत् अंचल अधिकारी, गाण्डेय द्वारा समर्पित विस्तृत जाँच प्रतिवेदन के आलोक में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह व अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है एवं मान्य होने योग्य है। किसी भी परिस्थिति में अवैद्य जमाबंदी रद्द होना उचित एवं वैद्य है।

–: विचारण व निर्णय :–

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं व विज्ञ सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट

होता है :–

यह कि सर्वे खतियान में वादगत भूमि की जमाबंदी प्रथम पक्ष लग्न कोल्ह के दादा एवं पिता के नाम से रैयती दर्ज है। वादगत भूमि आदिवासी खाते की है, जिसपर प्रथम पक्ष का दखल–कब्जा सर्वे के समय से वर्त्तमान तक कायम है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी के पक्ष में दखल–कब्जा बरकरार रखा गया है। चूँकि छोटानागपुर में कोल्ह जाति को आदिवासी के समकक्ष माना गया है। अतः CNT Act, 1908 की धारा 46 के तहत् उपायुक्त के आदेश/अनुमति के बिना उक्त खतियानी जमीन का कोई भी अंश हस्तान्तरण अवैद्य है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के W.P(C) No. 881 Of 2002 में पारित आदेश के विरूद्व L.P.A. No. 425 of 2006 में दिनांक 09.08.2006 को Double Bench of Judges के द्वारा पारित न्यायादेश के Para-24 के अनुसार "Mutation Cancelation- any order passed without jurisdiction is nullity-jamabandi standing in the name of a particular person can be cancelled in appropriate cases where order of creating jamabandi has been passed by an authority or jurisdiction at all or where is found to be based on apparent error of records/facts." इसके साथ ही विभिन्न न्यायालयों द्वारा भी इस वाद में सन्निहित भूमि का फैसला प्रथम पक्ष लगन कोल्ह वगै0 के पक्ष में हुआ है। माननीय न्यायालय, मुन्सीफ द्वारा भी धारा 146(i), द0प्र0सं0 के तहत् वादगत भूमि पर आवेदक का दखल–कब्जा घोषित किया गया है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी पुष्ट किया गया है। विपक्षी के पक्ष में किसी भी सक्षम न्यायालय का फैसला नहीं है। विपक्षी द्वारा दायर कई अपराधिक मामलो में भी आवेदक को दोषमुक्त किया गया है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त निम्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर विद्वान सरकारी अधिवक्ता, गिरिडीह के मंतव्य से संतुष्ट होते हुए अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह एवं भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश, दिनांक 17.05.2003 को यथावत रखा जाता है एवं वादगत भूमि की विपक्षी के नाम कायम जमाबंदी को रद्द किया जाता है। अंचल अधिकारी, गाण्डेय को आदेश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष लगन कोल्ह वगै0 के नाम जमाबंदी कायम करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

उभय पक्षों को आदेश से अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु LCR निम्न न्यायालय भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2021.11.22 17:20:29 +05:30
Location: 192.168.149.138

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।